संख्या–3138/9–आ–3–98–33 काम्प/98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ

2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 13 अक्टूबर, 1998

विषय : भवन निर्माण मानचित्र पर देय अम्बार फीस।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–175/9–आ–3–98–33काम्प/98, दिनॉक 5 फरवरी, 1998 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार बनाम् मालती कौल के मामले में दिये गये निर्णय का अनुसरण करते हुए अम्बार फीस की दरें निर्धारित की गई थी। तदापरान्त शासनादेश संख्या–540/9–आ–3–98–33काम्प/98, दिनॉक 7.3.1998 द्वारा उपराक्त शासनादेश के संबंध में स्पष्टीकरण इंगित किए गये थे। पुनः इस संबंध में कतिपय जिज्ञासायें की गई हैं। अतएव विचारोपरान्त मुझे निम्न स्पष्टीकरण/निर्देश जारी किये जाने का निर्देश हुआ है :–

1. अम्बार शुल्क ऐसे निर्माणकर्ताओं/भूमि विकासकर्ताओं से वसूल किया जाएगा जो सार्वजनिक स्थल,सार्वजनिक माग्र या सरकारी भूमि (जिसमें प्राधिकरण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नगर निगम/नगरपालिका परिषद, आदि की भूमि सम्मिलित हैं) का उपयोग भवन निर्माण सामग्री/भूमि विकास से संबधित सामग्री अम्बार करने हेतु करते हैं

2. 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूख्ण्डों के लिए यदि कोई निर्माणकर्ता/विकासकर्ता यह शपथ–पत्र देता है कि वह अपनी भवन निर्माण सामग्री/भूमि विकस से संबंधित सामग्री निजी भूख्ण्ड (निजी भूख्ण्ड से तात्पर्य ऐसे भूख्ण्ड से है जिके विषय में उसके पक्ष में बैनामा अथवा पट्टा हो या उसका उत्तराधिकारी हो) पर ही रखेगा तो वैसे प्रकरण में निर्माणकर्ता, विकासकर्ता से निम्न शर्तों के साथ अंडरटेकिंग देने पर अम्बार शुल्क से छूट दी जा सकेगी।

(अ) निर्माणकर्ता/विकासकर्ता द्वारा सार्वजनिक स्थल/मार्ग अथवा सरकारी ाूमि का उपयोग सामग्री अम्बार करने की दशा में, वह सम्बन्धित अधिकरण द्वारा मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) संबंधित अभिकरण की निधि में, मॉग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर एकमुश्त जमा करेगा।

(ब) उक्त (अ) में वर्णित मॉगपत्र सम्यक अनुपालन न होने की स्थिति में सम्पूर्ण देयकों की वसूली राजस्व के बकाए की भॉति ही चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

(स) ऐसे अप्राधिकृत अम्बारण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 को धारा–26–क के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि/मार्ग पर अतिक्रमण होने के कारण संज्ञेय अपराध होंगे। दोषियों के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) उक्त शासनादेश उन मानचित्रों पर भी लागू होगा जो स्वीकृत के उपरान्त जारी नहीं किए गए हैं।

(4) यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–3138(1)/9–आ–3–98–33 काम्प/98 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1). मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2). उ0प्र0, आवास बन्धु/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव